संख्या-12 /2021/ 4749 /71-2-2021- पी-21/2015 टी0सी0

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्थान के विभिन्न विभागों के लिए उपकरण एवं संयंत्र की सूची अनुमोदित किये जाने एवं प्राविधानित धनराशि रू0 64.99 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- सी0बी0एम0आर/ वि0एवंले0/2020-21/13/576, दिनांक 05-01-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्थान के विभिन्न विभागों के लिए उपकरण एवं संयंत्र की सूची अनुमोदित किये जाने एवं प्राविधानित धनराशि रू0 64.99 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत सी0बी0एम0आर0, लखनऊ हेतु मानकमद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष गैर मानकीकृत उपकरणों की संलग्न सूची अनुमोदित करते हुए गैर मानकीकृत उपकरणों के क्रय हेतु रू0 64.99 लाख (रूपये सौसठ लाख निन्न्यानबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही संबंधित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(2)- जिन उपकरणों के स्पेशिफिकेशन निर्धारित कर दिये गये हैं, तदनुसार ही कार्यवाही की जायेगी तथा संस्थान हेतु उपकरण/संयंत्र मद में प्राविधानित सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थितिमें प्राविधानित धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचाकिताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।

(4)- स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।

(5)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओंके सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6)- प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी / संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7)- वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, 29 सितम्बर, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

(9) दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष से आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियॉ (Technical Specification) का यथासम्भव समावेश किया जाये।

(10)- संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट /गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस जेम पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11)- निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक/वित्त अधिकारी/विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी।

(13) संस्थान के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।

(14) उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताऐं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात, यदि उपकरण क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।

(15) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

(16) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(17) प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य के शिडयूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाए।

(18) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(19) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किया जाना चाहिए। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- धनरशि को कोषागार से वित्त अधिकारी/ वित्त नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0 द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखाशीर्ष "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105 एलोपैथी-07- सेण्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2021/4749(1)/71-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दिवतीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-12/2021/4749/71-2-2021-पी-21/2015टी0सी0, 03 फरवरी, 2021 का संलग्नक

LIST OF EQUIPMENTS TO BE PURCHASED DURING THE FINANCIAL YEAR 2020-21

Sl. No.	Item	Qty.	Estimated Cost (In Lakh)	Purpose of equipment
1	Fluorescence Spectrophotometer	01	25.00	This instrument is to be used for the recording of fluorescence intensity to detect the expression of different protein present in cells and tissues. Also, it can be used to record the sensing of different fluorescent dyes used for studying the cell biology of human disease.
2	Large TV	02	03.00	These big size TVs are required for Conference room and Lecture hall of the Centre for meetings, presentations, lectures, seminars and smart classes.
3	3D Printer with prototype facility	01	15.00	This 3D Printer with prototype facility is required to be used for printing / creating biological models for scientific studies
4	Upgradation of Server	01	08.00	The present DNS and Web server of the CBMR is almost 6-7 years old. From the last few years, capacity of the faculty and research scholars has been increased manifold. The present server is not able to work in full capacity due to shortage of space, memory and other specifications. Also, the associated switches and access points are also to be updated along with the server.
5	CCTV Cameras with DVR	25	05.00	These cameras are required to be installed in the new building, Hostel and Guest House of the CBMR.
6	Plagrism Software	01	06.00	This software is required for checking the plagrism of text in manuscript and thesis.
7	DSLR Camera	01	00.99	The DSLR camera is to be used in scientific conferences, events and programmes of the Centre.
8	Desktop Computer	01	00.80	The Desktop Computer is required to be installed in the Seminar Hall and it will be used during conferences, seminars and smart classes for presentation purpose.
9	27” Monitor (Curved)	01	00.30	This monitor is required to see the large spectra, scientific images and for comparison of two different images at a time.
10	Speaker and Mike with Complete System	01	00.90	The speaker and mike with complete system is required for the Seminar Hall and will be used during conferences, seminars and smart classes for presentation purpose
	Total Rs.		**64.99**	

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in